उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1981 ई0)

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGES (ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

(U.P. Act No. 21 of 1981)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1981 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2001

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 सितम्बर, 1981 ई0 की बैठक में पारित किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1981 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय गैर सरकारी होम्यौपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का अर्जन और प्रबन्ध करने और होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या विषयों का उपबन्ध करने के लिए।

अधिनियम

चूकि राज्य मे गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र काफी समय से ऐसे महाविद्यालयों का प्रान्तीकरण करने के लिए आन्दोलन करते रहे है ;

और, चूंकि, इन महाविद्यालयों में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा उपयुक्त नहीं है ;

और, चूंकि, राज्य में आवश्यकता से अधिक महाविद्यालय केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलाए जा रहे है और होम्योपैथिक विज्ञान में चिकित्सा शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसका समुचित संगठन करने और ऐसे विज्ञान में शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने और ऐसी बुराइयों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उन महाविद्यालयों का, जो अधिक उपयोगी है, अर्जन करना, और शेष महाविद्यालयों को बन्द करना आवश्यक है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ——

अध्याय—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना[2] द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 18 जुलाई, 1981 का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. अधिसूचना सं0 7867—सेंक्—9/81—1019—50 दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त किया गया ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, ––

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) "होम्योपैथिक" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन अधिनियम, 1951 में दिया गया है ;

[1][(खख) "नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज" का तात्पर्य नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के साथ–साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है ।]

(ग) "अनुसूचित महाविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के साथ–साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है ;

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "सोसाइटी" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है, जिसमें ऐसे महाविद्यालय का स्वामित्व और उसके कार्य–कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

अध्याय–दो

अनुसूचित महाविद्यालयों का अर्जन

अनुसूचित महाविद्यालयों का राज्य सरकार में निहित होना

3–(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय और उसके साथ ही ––

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसा महाविद्यालय स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर ;

(ख) ऐसे महाविद्यालय का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण–कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियाँ ;

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान ; बही–ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय के कार्य–कलाप के प्रबंध के प्रभारी प्रशासक या किसी अन्य व्यक्ति, सोसाइटी या निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति, या नियंत्रण में रहीं हो;

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगी और पूर्णरूप से उसमे निहित होगी और ऐसे महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जायगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के सम्बन्ध में

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 2001 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

प्रत्येक दानविलेख, विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार से निहित हो गई हो, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त और उन्मोचित हो जायेगी, और किसी न्यायालय या अधिकरण की ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध लम्बित या विद्यमान किसी कार्यवाही या वाद–हेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता।

अनुसूचित महाविद्यालयों का प्रशासन

4–(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार समय–समय पर निदेश दे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ––

(क) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों को बन्द कर दिया जायगा ;

(ख) ऐसे दो या अधिक महाविद्यालयों को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा;

[1][(खख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय और नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;]

[2][(ग) एक या अधिक अनुसूचित महाविद्यालयों या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित, या ऐसे किसी अन्य महाविद्यालय में आमेलित, कर दिया जायगा ;

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालयों या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कर दिया जायगा ;

(ड़) किसी अनुसूची महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के किसी पद को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय मे स्थानान्तरित कर दिया जायगा ।]

[3][(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (खख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों से भिन्न प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेंगी। यदि दो या अधिक कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक हो, तो अधिक आयु का कर्मचारी ज्येष्ठ होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 2001 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 2001 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 7, 2001 की धारा 3(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) राज्य सरकार के लिए पद विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अनुसूचित महाविद्यालय या नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज या उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (खख) के अधीन सम्मिलित या समामेलित महाविद्यालयों के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद को समाप्त कर दे, बिना भरे छोड़ दे या आस्थगित रखें और कोई व्यक्ति ऐसे पद पर किसी नियुक्ति का दावा करने का हकदार नही होगा।][1]

कब्जा देने का कर्त्तव्य

5–प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगा, और कलक्टर या यथापूर्वोक्त ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई बही, कागज–पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा–जोखा, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में दिए गये अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई है, कब्जा लेने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करे ।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

6–(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय में या उसके कार्यकलाप के सम्बन्ध मे नियोजित हो, नियत दिन से राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धों और शर्तो पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तो को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय ;

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा, और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायगा ;

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित का हकदार होगा–

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि, और

(ख) अन्य प्रसुविधायें जो ऐसे महाविद्यालय में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होती यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2001 की धारा 3ग द्वारा बढ़ाया गया।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ो का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अभिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नही किया जायगा।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित महाविद्यालय में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में (अनुसूचित महाविद्यालय से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते यह उस पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो ।

कतिपय नियुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

7–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गयी वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार किसी अधिकारी का नाम–निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकती है, और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस विषय में प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकती है या वेतनवृद्धि को रद्द कर सकती है और ऐसी प्रत्येक सेवा–समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिए की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रहीं हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी, दिन की अवधि की समाप्ति के दिन का और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाये और ऐसी संविदा या अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नही करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी ––

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकारक है, और

(ख) जब तक संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय ।

अध्याय – तीन

नए महाविद्यालय खोलने का निषेध

नये होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित नही किये जायेगे

8–संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात्––

(क) होम्योपैथी में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, उसका व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, या न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा ;

(ख) होम्योपैथी में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में, चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा ;

(ग) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के सम्बन्ध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नही लेगा ;

(घ) होम्योपैथी में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिए तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति

9–धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक हो सकता है, या दोनो से दण्डनीय होगा ।

अध्याय–चार

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

10–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

शास्ति

11–ऐसा व्यक्ति, जो ––

(क) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धृत किसी सम्पत्ति या आस्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी सम्पत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) के उल्लंघन में सदोष विधारित करता है, या

(ख) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए घृत किसी सम्पत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाए रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण के अधीन स्थित कोई बही, कागज–पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) के उल्लंघन में जानबूझकर विधारित करता है या उनका लेखा–जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धृत किसी सम्पत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है या नष्ट करता है कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

12– जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो

और उसके कार्यसंचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायेगा, और सद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ओर दण्ड दिया जा सकेगा ;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नही होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके निरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनो के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

13–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक, कार्यवाही नही की जा सकेगी।

अपराध का संज्ञान

14–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी किसी लिखित परिवाद के बिना नही करेगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में व्यावृत्ति

15–इस अधिनियम की कोई बात होम्योपैथी में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुये शिक्षण प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक के अपनी रूचि की किसी शिक्षण संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

16–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

17–(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1979 एतव् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य बनी रहेगी मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो ।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिये]

क्रम–संख्या	महाविद्यालयों के नाम
1	गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।
2	कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
3	मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
4	श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्देसर, आजमगढ़ ।
5	डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।
6	के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।
7	टी0 डी0 होम्योपैथिक मेंडिकल कालेज, जौनपुर ।
8	लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
9	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनकावाला, नगीना, बिजनौर ।